राजस्व तन्त्र को सुदृढ़ बनाने के काम में राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को सहायता देने के उद्देश्य से राजस्व प्रशासन को सुदृढ़ बनाने तथा भूमि अभिलेखों को अद्यतन बनाने की एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना 1987-88 से पहले ही चल रही है। इसके अतिरिक्त भू-धारकों को अपने अधिकारों की अद्यतन प्रति शीघ्र और सस्ती दर पर मिल सके, इस उद्देश्य से एक अन्य योजना अर्थात भू-अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण की योजना के अंतर्गत भू-अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण की परियोजनाएं भी स्वीकृत की गई हैं।

(ख) और (ग) लक्षद्वीप को छोड़कर सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों को राजस्व प्रशासन को सुदृढ़ बनाने और भू-अभिलेखों को अद्यतन बनाने की योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है और सर्वेक्षण तथा बंदोबस्त कार्यों, भू-अभिलेखों को तैयार करने, उनका रख-रखाव करने और उन्हें अद्यतन बनाने, राजस्व, सर्वेक्षण और बन्दोबस्त स्टाफ को सेवा में आने से पूर्व और सेवा के दौरान प्रशिक्षण देने और इस प्रयोजन के लिए प्रशिक्षण, ढांचे को सुदृढ़ बनाने के क्षेत्र में नई प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए इन राज्यों को केन्द्रीय अंश के रूप में 79.84 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी गई है। इस योजना के अंतर्गत कार्य प्रगति पर है। भू-अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण के लिए अभी तक 60 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं और 25 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को शत-प्रतिशत केन्द्रीय अनुदान के रूप में 13.78 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले की परियोजना पूरी हो चुकी है और उसने कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है। शेष परियोजनाओं में कार्य प्रगति पर है। चूंकि भू-अभिलेखों को अद्यतन बनाने और उनका कम्प्यूटरीकरण करने की प्रक्रिया में समय लगता है इसलिए योजनाओं के आठवीं पंचवर्षीय योजना के बाद भी जारी रहने की संभावना है।

उत्तर प्रदेश में पेय-जल की कमी

497. चौधरी हरमोहन सिंह :
श्री ईश दत्त यादव :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भीषण सूखे के कारण उत्तर प्रदेश के गांवों में पेय-जल की अत्यधिक कमी थी ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उक्त राज्य के इन गांवों में पेय-जल सुलभ कराने के लिए क्या कदम उठाये हैं ;

(ग) क्या सरकार ने राज्य में और अधिक कुएं खोदने के लिए राज्य सरकार को अतिरिक्त धनराशि प्रदान की है ;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार उत्तर प्रदेश के लोगों को पेयजल सुलभ कराने के लिए क्या उपाय करने का विचार रखती है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई पटेल) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) बिना जल स्रोत वाले गांवों की कवरेज के लिए केन्द्र सरकार ने 1991-92 में 28.67 करोड़ रुपए तथा 1992-93 में 7.81 करोड़ रुपए की विशेष सहायता त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत सामान्य आबंटन के अतिरिक्त मुहैया की थी। त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत सामान्य आबंटन को भी 1992-93 में 43.48 करोड़ रुपए से 1993-94 में 76.48 करोड़ रुपए तक बढ़ा दिया गया तथा 1994-95 में 86.16 करोड़ रुपए तक बढ़ा दिया गया।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।